Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता सम्बन्धी अवधारणाः एक समीक्षात्मक अवलोकन

Nilima Kumari*

Junior Research Fellow, Department of Political Science, Banaras Hindu University, Varanasi-221005

***सार** – व्यक्ति स्वातंत्र्य के पुजारी, उदारवाद व समाजवाद के बीच संयोजन करने वाले आधुनिक नारीवाद का शंखनाद करने वाले प्रजातंत्र के समर्थक, इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विचारकों में से एक जॉन स्टुअर्ट मिल मुख्यतः अपनी स्वंतत्रता की अवधारणा के कारण प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें अन्य विचारकों की श्रेणी से निकालकर एक विशिष्ट पहचान देती है। आज लगभग सभी देश प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व न्याय को विशेष महत्त्व दिया जाता है। लेकिन जब से उदारीकरण व वैश्वीकरण का दौर आया है, राज्य के कार्यभार में दिनोदिन बढ़ोत्तरी होती चली जा रही और साथ में व्यक्ति के प्रतिदिन के जीवन में भी राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आज दुनिया भर में कई सवाल उठाये जा रहे हैं। ऐसे में हमें जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता सम्बन्धी अवधारणा पर पुनः सोचने व विचारने की आवश्यकता पड़ जाती है कि जिस व्यक्ति स्वातंत्र्य की उन्होंने खुले शब्दों में वकालत की, क्या आज उसे वैसे ही अमल में लाया जा सकता है या उसमें सुधार की आवश्यकता है।*

----------X----------

जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता सम्बन्धी अवधारणा

"मिल के स्वतंत्रता सम्बन्धी अध्याय का राजनीतिक साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। यह अध्याय उसे मिल्टन, स्पिनोजा, वाल्टेयर, रूसो, पेन, जैफर्सन तथा स्वतंत्रता के अन्य विचारकों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। जिन विचारों को हम दबाना चाहते हैं, उनके बारे में हम निश्चयपूर्वक नही कह सकते कि वे सर्वथा गलत हैं और यदि इस बात का निश्चय हो भी जाय तो भी उन विचारों को दबाना बुरा है। वाद-विवाद एवं अभिव्यक्ति पर कोई भी प्रतिबन्ध लगाना अपनी दुर्बलता को प्रकट करना है जो व्यक्ति किसी विषय में केवल अपने ही दृष्टिकोण से परिचित है उसे उस विषय का पूरा ज्ञान कभी नही हो सकता। यदि समाज के नेता किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें व्यक्तियों को लेखन और विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। हमें सुकरात का उदाहरण याद रखना चाहिए, जिसके विचारों को तत्कालीन अधिकारियों तथा जनमत से तीव्र विरोध था। उस समय सुकरात का वध कर दिया गया, लेकिन बाद में उनके विचार स्वातंत्र्य से सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हुआ।" (पी.डी. शर्मा, पृ. सं. 438)

मैक्सी द्वारा उद्धरित कुछ ऐसे ही विचारों का ताना-बाना है मिल की स्वतंत्रता। मिल द्वारा स्वतंत्रता पर लिखा गया ऑन लिबर्टी निबन्ध अपने समय का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं चर्चित निबन्ध माना गया।

स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह समर्पित अपनी तरह की यह पहली पुस्तक थी, जिसमें स्वतंत्रता का प्रतिपादन, विश्लेषण एवं चित्रण धारा प्रवाह भाषा में और तार्किक शैली में किया गया। मिल की ऑन लिबर्टी के बारे में कहा जाता है कि यह सभी तरह के निरंकुशवाद के विरूद्ध एक घोषणापत्र है। इस पुस्तक की तुलना **मिल्टन की एरोपेगिटिका** से की जाती है। यह माना जाता है कि यह पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक तार्किक एवं मुखर पुस्तक है, इसलिए मिल की ऑन लिबर्टी को विश्व की राजनीतिक साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में माना जाता है।

जे. पी. सूद ने अपनी पुस्तक 'आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास भाग-3' में लिखते हैं-

'कुछ परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 वीं शताब्दी के मध्य में इग्लैण्ड में राजनीतिक चिन्तन का प्रधान विषय बन गयी थी। बेन्थम तथा उसके

www.ignited.in

उपयोगितावादी अनुयायियों के सुधारवादी कार्यों के परिणामस्वरूप शासन का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया था और नागरिकों की क्रियाओं पर राज्य का नियन्त्रण बढ़ने लगा था। अधिकतम जनता के अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के फलस्वरूप सरकार का आकार भी बढ़ गया था क्योंकि उसकी सेवाओं का विस्तार हो गया था। बाल-श्रम, कल-कारखानों, तथा स्वच्छता से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों ने नागरिकों के जीवन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये थे। दूसरी ओर मताधिकार को अधिक व्यापक बनाने तथा शिक्षा की सुविधाओं को विस्तृत करने का आन्दोलन चल रहा था ताकि नागरिक गण अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को अच्छी तरह समझ सकें। इस प्रकार एक ओर तो केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि तथा सामाजिक व्यस्थापन जनकल्याण के लिए सामूहिक कार्यों के महत्त्व पर बल देते थे और दूसरी ओर मताधिकार का विस्तार, शिक्षा प्रसार, तथा स्वायत्त शासन का पुनरूत्थान व्यक्तिगत प्रयत्न के महत्व पर बल देते थे।' (जे.पी. सूद, पृ. सं. 41)

ऐसी परिस्थितियों में मिल के लिए जोकि व्यक्ति की स्वतंत्रता के भक्त थे, उसका बचाव करना स्वाभाविक था, जिसे हम उनकी पुस्तक **ऑन लिबर्टी** के रूप में देखते हैं। यह न केवल सरकार के हस्तक्षेप के विरूद्ध, बल्कि जनमत तथा परम्पराओं के दबाव के विरूद्ध भी, विचार-अभिव्यक्ति तथा कर्म की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन है।

जब मिल की स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार पर यह प्रश्न उठाया गया कि उपयोगितावाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता में तालमेल कैसे स्थापित हो सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में मिल कहते हैं कि इन दोनों के मध्य विरोधाभास नहीं है दरअसल वे उपयोगितावाद को संकुचित नहीं वरन् व्यापक अर्थों में लेते हैं। इसलिए वे नैतिक प्रश्नों पर उपयोगितावाद को अन्तिम अपील मानते हैं।

मिल ने अपने निबन्ध **ऑन लिबर्टी** में जिस स्वतंत्रता का समर्थन किया है, उसका आधार सुख का सिद्धान्त है। उनका मत है कि विभिन्न कार्यों से सुख की प्राप्ति होती है। अतः उनके सुख में अधिकतम वृद्धि करने के लिए उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। बशर्ते कि उनके कार्यों से दूसरों के सुखों में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। मिल के शब्दों में-

"सच्ची स्वतंत्रता वही है जिससे हम अन्य व्यक्तियों को उनके सुखों से वंचित न करके या उनके सुखों में बाधा उपस्थित न करके, अपनी स्वयं की विधि से अपने हित का अनुसरण कर सकें। मानव-जाति का इस बात से अधिक हित हो सकता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दे न कि इस बात में कि वह शेष व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार उसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करे।" (के. एस. कमल, पृ. सं.. 272)

मिल का मत था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास स्वतंत्रता के अभाव में सम्भव नहीं है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।

मिल ने अपनी स्वतंत्रता सम्बन्धी अवधारणा को दो भागों में बाँट दिया है-

1. विचारों की स्वतंत्रता
2. कार्य की स्वतंत्रता

विचारों की स्वतंत्रता

जहाँ तक विचारों की स्वतंत्रता का प्रश्न है, मिल मानते हैं कि किसी भी सूरत में विचारों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति उन्मुक्त हो। इस विषय में मिल इतने उदार हैं कि उन्होंने सनकी और झक्की व्यक्तियों को भी वैचारिक स्वतंत्रता दी जो कि न केवल व्यक्ति के लिए, बल्कि समाज के लिए भी हितकर है। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे विचार व्यक्त कर सकता है, जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः यदि सम्पूर्ण समाज का एक मत हो और एक व्यक्ति का दूसरा मत हो तो भी उसे अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

मिल के शब्दों में

यदि एक व्यक्ति के अलावा सम्पूर्ण मानव-जाति का एकमत हो, और केवल एक व्यक्ति का मत उसके विरूद्ध हो, तो भी उस व्यक्ति को बलपूर्वक मौन करने का मानव जाति को उसी प्रकार कोई अधिकार नहीं है, जिस प्रकार उस एक व्यक्ति को शक्ति सम्पन्न होने पर मानवजाति को बलपूर्वक मौन करने का नहीं होता है। (ओम नागपाल, पृ. सं. 60)

'मिल फ्रांसीसी लेखक द टाकविले (1805-59) के इस विचार से सहमत थे कि जनसाधारण बंधे-बँधाएं तरीकों और बने-बनाए रास्तों पर चलना पसन्द करते हैं उन्हें नए विचारों और प्रयोगों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मिल को डर था कि जनसाधारण के हाथों में शक्ति आ जाने पर वे लीक से हटकर

www.ignited.in

चलने वालों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और सम्पूर्ण समाज को औसत दर्जे के तौर-तरीकें और विचार अपनाने के लिए विवश कर देंगे। इससे सामाजिक अनुरूपता अर्थात् सभी व्यक्तियों को एक ही साँचे में ढ़ालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, नए तौर-तरीकों और विचारों को प्रामाणिकता का दावा करेंगे और नए विचारों का दमन कर देंगे।' **(ओ. पी गाबा, पृ. सं. 257)**

मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निम्न तर्क दिया है-

यह सम्भव है कि जिस विचार का दमन किया जा रहा है, वह सत्य हो। अतः उस विचार का दमन करने का अर्थ है- सत्य का दमन करना। इस स्थिति में समाज को हानि हो सकती है।

यह सम्भव है कि जिस विचार का दमन किया जा रहा है, वह आंशिक रूप से सही हो और आंशिक रूप से समाज सही हो। कुछ बात उस व्यक्ति की ठीक हो और कुछ बात समाज की ठीक हो। इस स्थिति में भी व्यक्ति को उसकी बात कहने देना आवश्यक है। आंशिक सत्य के दमन का परिणाम समाज के लिए अहितकर हो सकता है।

यह सम्भव है कि जो विचार अति दीर्घकाल से सत्य माने जा रहे हैं, वे सत्य न हो। उनकी सत्यता की जाँच स्वतंत्र वाद-विवाद की कसौटी पर ही की जा सकती है। इस कसौटी पर उनकी परीक्षा किए बिना उनको स्वीकार करना, व्यक्ति और समाज दोनों के हितों के प्रतिकूल हो सकता है।

यदि किसी व्यक्ति के विचार गलत हैं तो भी उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि तभी यह पता लग सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है ? यदि वह व्यक्ति गलत है तो समाज की सही बात और अधिक निखरकर सामने आएगी।

'व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करके ही समाज के प्रचलित आदर्शों, मान्यताओं, परम्पराओं, रीति-रिवाजों और विचारधाराओं का अन्त करके, नई परम्पराओं और विचारधाराओं को जन्म देने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचारों पर प्रतिबन्ध लगाने का अर्थ है- नई परम्पराओं, विचारधाराओं आदि का प्रचलन न होने देना। यह कार्य समाज के लिए घातक हो सकता है।' (के. एस. कमल, पृ. सं.. 275)

इस प्रकार जहाँ तक विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, मिल इस सन्दर्भ में कहीं से भी कोई बन्धन लगाने के पक्ष में नहीं हैं। इसमें वह पूर्णतः व्यक्ति को खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल आजाद पंक्षियों की तरह। और वे स्वयं भी कहते हैं विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें जंजीरों में मत बांधो क्योंकि विचार मानव-समाज के विकास एवं उसकी प्रगति के आवश्यक प्रेरणा स्रोत हैं।

कार्य की स्वतंत्रता

मिल के अनुसार स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं- आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत विचार की स्वतंत्रता को और बाह्य स्वतंत्रता के अन्तर्गत कार्य की स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिल ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकारा है, कार्यों पर भी क्या उनका यही मत है? क्या व्यक्ति के कार्यों पर भी शासन और समाज का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए? क्या व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कार्य करने की छूट होनी चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मिल व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बाँटते हैं।

- **पहला, स्व-सम्बन्धी कार्य**
- **दूसरा, पर-सम्बन्धी कार्य**

स्व-सम्बन्धी कार्य

इसके अन्तर्गत वे कार्य आते हैं, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, जैसे-भोजन करना, पहनना, सोना, आचार-विचार आदि।

कोई व्यक्ति क्या खाए, इससे समाज के व्यक्ति सम्बन्धित नहीं है। वह चावल खाए या रोटी, शाकाहारी हो या मांसाहारी, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति क्या पहने, इससे भी समाज को कोई फर्क नही पड़ना चाहिए। वह शराब पीये, सीगरेट पीये, जुआ खेले, इसमें कतई राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त सभी कार्यों का प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, अन्य पर नही। इस प्रकार जहाँ तक निजी कार्यों अथवा स्व-सम्बन्धी कार्यों का प्रश्न है, मिल उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में नही हैं। उनका तर्क है कि यदि व्यक्ति स्व-सम्बन्धी कार्यों को अपने ढंग से करता है, तो एक नवीनता का विविधता का प्रतिपादन करता है, यह निजत्व, यह नवीनता, मौलिकता मानव-जीवन का सौन्दर्य है। इसके बिना मानव-जीवन सूना, वीरान और नीरस हो जाएगा। व्यक्ति को स्व-सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्रता न देना उसे पशु बनाने के समान है। उनके शब्दों में व्यक्ति के चरित्र, आचरण और व्यवहार के उस अंश के सम्बन्ध में, जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है और

जिसका दूसरों से सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात् उसे इस क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। (ओम नागपाल, पृ. सं. 63)

पर-विषयक कार्य

'मिल के अनुसार पर-सम्बन्धी कार्य वे हैं, जिनसे समाज अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं यदि व्यक्ति समाज में अभद्रता और अनैतिकता को प्रोत्साहन देता है अथवा ऐसे संगठनों का निर्माण करता है, जिनसे सामाजिक शान्ति और सुरक्षा भंग होती हो तो राज्य को अधिकार है कि वह उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे, लेकिन वहीं तक जहाँ तक, यह हस्तक्षेप व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक हो।' **(पी.डी. शर्मा, पृ. सं0. 438)** अपना पूर्ण अहित करने वाले कार्य भी मिल के अनुसार, राज्य द्वारा प्रतिबन्धित हो सकते हैं जैसे- अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा हो या जहरीला खाद्य पदार्थ ले रहा हो या टूटी हुई नाव में सफर कर रहा हो, तो इन परिस्थितियों में उनका जीवन समाप्त हो सकता है। अतः राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप कर उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के हित को अच्छे ढंग से समझता है।

यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए करता हो, जैसे शराब पीकर सार्वजनिक शान्ति को भंग करे, तो ऐसी स्थिति में राज्य हस्तक्षेप करेगा।

संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए, राज्य वैयक्तिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य अपनी सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता को बचाने के लिए व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता त्यागने को बाध्य कर सकता है। जैसे- व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

समाज केवल आत्मरक्षा के लिए ही व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगा सकता है, वह भी केवल पर-सम्बन्ध कार्यों पर। आत्मरक्षा के अतिरिक्त समाज को स्वतंत्रता को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि कुछ लोग अशिक्षित होते हैं। वे स्वतंत्रता का मूल्य एवं महत्व नहीं जानते। अतः इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि उन्हें स्वतंत्रता दे भी दी जाय, तो उसका उपयोग कैसे करना है, वे यह भी नहीं जान पायेंगे।

दूसरा, वे कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल बालिग और परिपक्व व्यक्तियों को मिलना चाहिए। बच्चों या नाबालिगों को स्वतंत्रता देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्रता का प्रयोग सही ढ़ग से नहीं कर सकते।

आखिर में मिल का कहना है कि प्रत्येक शासन वस्तुतः अधिकारी तन्त्र द्वारा ही संचालित होता है। रूस का तानाशाह किसी अधिकारी को साइबेरिया तो भेज सकता है, परन्तु अधिकारियों के बिना वह शासन नहीं कर सकता। यहां तक कि जार का अधिनायकत्व भी अधिकारियों के दम पर ही टिका हुआ है। जार के प्रत्येक आदेश को अधिकारी अपनी अनिच्छा के द्वारा वीटो कर सकते हैं। इसलिए इन अधिकारियों के माध्यम से काम कराने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि व्यक्तियों को स्वयं काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वे मानते हैं कि उस अपरिमित शक्ति को जो समूचे तंत्र के चलाने के लिए निहायत जरूरी है, अधिकारी तंत्र का पुर्जा बनाकर नष्ट न किया जाए।

मिल की ऑन लिबर्टी के अतिरिक्त अन्य कृतियों में भी हमें स्वतंत्रता सम्बन्धी उनके विचारों की झलक दिखाई देती है-

महिलाओं के स्वतंत्रता की वकालत

मिल के समय में ब्रिटेन में महिलाएँ स्वतंत्रता एवं समानता की स्थिति से वंचित थीं। महिलाओं की शिक्षा को, विशेष रूप से उच्च शिक्षा को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। संसद सदस्य बनना तो दूर उन्हें वोट देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। अतः समकालीन चिंतन के अंतर्गत नारीवादी सिद्धान्त के समर्थक जो तर्क दे रहे हैं, उनकी सबसे पहली सशक्त अभिव्यक्ति हमें मिल की पुस्तक **द सब्जेक्शन ऑफ़ वीमेन** (1869) में मिलती है।

'उनका कहना था कि स्त्री और पुरूष के बीच सामाजिक सम्बन्धों का संचालन करने वाले नियम, जो एक सेक्स को श्रेष्ठ तथा दूसरे को उसके अधीन बनाते हैं अपने-आप में ही गलत हैं, इन्हें पूर्ण समानता के नियम द्वारा बदल दिया जाना चाहिए।' **(ओ. पी. गाबा, पृ. सं. 261)**

उसके अनुसार लोग यह तर्क भी देते हैं कि स्त्री और पुरूष की अधीनता शक्ति पर आधारित रचना नहीं है। यह तो स्वेच्छा से स्वीकृत अधीनता है। इस पर मिल का जवाब था कि अधिकांश महिलाओं ने वोट के अधिकार की मांग की है, समान शिक्षा व व्यवसाय की मांग कर रही है।

मिल के अनुसार कई लोग आग्रह भी करते हैं कि यदि स्त्रियाँ पुरूष की अधीनता से मुक्ति चाहती हैं तो सामूहिक रूप से संघर्ष क्यों नहीं करती? इस पर मिल का मत था कि सभी पुरूष केवल अत्यधिक जंगली पुरूषों को छोड़कर, उन स्त्रियों से जिनका सम्बन्ध उनसे है, केवल बलात गुलामी ही नहीं चाहते बल्कि एक प्रिया भी चाहते हैं। अतः उन्होनें उनके मस्तिष्क को गुलाम बनाने के सभी उपाय अपनाए हुए हैं, सभी नैतिकताएँ बताती हैं कि यह स्त्रियों का कर्तव्य है तथा सभी भावुकताएँ बताती हैं कि यह स्त्रियों की प्रकृति है कि वे अन्य लोगों के लिए जीयें।

ऐसी मनः स्थिति में स्त्रियाँ कैसे संगठित होकर पुरूषों के विरूद्ध मोर्चा खोलने में सफल हो सकती हैं। आधुनिक युग की पहचान यह है कि मनुष्य जिस स्थिति में जन्म लेता है तो फिर जीवन भर उस स्थिति से वह जंजीरो द्वारा बांधा नहीं रहेगा। वह मुक्त है, स्वतंत्र है, तो फिर महिलाओं का छूट क्यों न हो कि वे अपनी सामाजिक स्थिति सुधार सकें? अतः उन्होंने कहा कि महिलाओं की सामाजिक अधीनता मूलभूत कानून का पूर्णतया उल्लंघन है चिन्तन और आचरण की पुरानी दुनिया का एकमात्र अवशेष। **(ओम नागपाल, पेज नं.. 41-42)**

मिल जब, 1866 से 1868 तक **लॉर्ड हाउस में वेस्टमिनिस्टर** से सदस्य रहे थे तो वहाँ पर भी उन्होंने महिलाओं को मताधिकार देने की बात उठाई थी साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता का भी उन्होंने समर्थन किया। इस पुस्तक में उन्होंने काले व गोरे के बीच संघर्ष के मुद्दे को भी उठाया था।

निष्कर्षतः मिल को यदि उनके सम्पूर्ण विचारधाराओं के सानिध्य में देखा जाये, तो बेशक, उनके चिन्तन का आरम्भ बैन्थम व जेम्स मिल के उपयोगितावाद से होता है, किन्तु वे जल्द ही उपयोगितावाद और व्यक्तिवादी संकीर्ण गलियों से निकलकर मानवतावाद के पक्षधर बन जाते हैं।

जहाँ तक मिल की स्वतंत्रता की प्रश्न है, तो उनकी अवधारणा निस्सन्देह अपने आप में काफी सशक्त अवधारणा थी, लेकिन यदि इस पर गहनता से दृष्टि डाली जाए, तो परत दर परत बहुत कमियाँ व साथ ही साथ उसका मजबूत पक्ष सामने आता जाएगा।

मिल पर सबसे पहला आक्षेप लगाया जाता है, कि उन्होंने लगभग सौ पन्ने से अधिक स्वतंत्रता पर लिख डाले, व्यक्ति और राज्य के संघर्ष का वर्णन किया, उसके महत्त्व पर भी बल दिया, लेकिन स्वतंत्रता को एक अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया।

बार्कर (बार्कर पृ0 सं0 10) का कहना, कि मिल बावजूद स्वतंत्रता की अपनी इस अवधारणा के कि स्वतंत्रता आध्यत्मिक मौलिकता की वह स्वतंत्र क्रीड़ा है, जिसका परिणाम होता है व्यक्ति में स्फूर्ति का आना और उसका विविध रूप से विकास होना, जिसके द्वारा ही एक भव्य, अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है। कहा जाता है कि मिल ने व्यक्ति को समाज से पृथक देखा है। जबकि समाज के नियमों का व्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई विरोध नहीं होता। वे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्भव बनाने में सहायक होते हैं।

जे. पी. सूद का कहना है कि मिल का सूक्ष्म सिद्धान्त बेन्थमवाद से मेल नहीं खाता है जो उसका प्रारम्भिक बिन्दु था। वे इस बात पे विश्वास करते थे कि नियन्त्रण स्वयं अपने आप में एक बुराई और राज्य द्वारा हस्तक्षेप स्वतंत्रता के ऊपर एक आघात है, और इसलिए वे रूसो तथा हीगल के सिद्धान्त तक नहीं पहुंच सके। (जे.पी. सूद पृ. सं. 49)

मिल पर यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि वे स्वतंत्रता को अपने आपमें पूर्ण मानते हैं, किन्तु स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता भी आवश्यक है। इसके अभाव में स्वयं स्वतंत्रता भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती।

ओम नागपाल का कहना है कि मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बाँटा है- स्व-सम्बन्धी कार्य और पर-सम्बन्धी कार्य, परन्तु यदि गौर से देखा जाए तो व्यक्ति के कार्यों को दो डिब्बों में बन्द नही किया जा सकता। **(ओम नागपाल, पृ. सं.. 66)**

यद्यपि मिल ने बहुत समझाने की कोशिश की कि किस तरह के कार्य स्व-सम्बन्धी हैं, और किस तरह के कार्य पर सम्बन्धी तो भी बात पूरी नहीं बनती। कपड़े पहनना-न-पहनना व्यक्ति का निजी कार्य है, परन्तु कपड़े न पहनकर सार्वजनिक स्थलों पर भटकना अश्लीलता भी कही जा सकती है, क्या इस पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कर्नाटक में एक विशेष पर्व पर नग्न महिलाओं का जुलूस निकाला जाता है, जो वीभत्स होता है। क्या इसे प्रतिबंधित करना अनुचित है? राजस्थान में कभी-कभी कोई महिला अपने पति की मृत्यु पर उसके साथ सती हो जाती है। मिल इसे उन महिलाओं का निजी कार्य निरूपित कर सकतें हैं परन्तु इसके साथ कितने ही सामाजिक मूल्य जुड़े हैं। क्या उस महिला को राज्य द्वारा सती होने से रोकना अनुचित है? इसलिए यही कहा जा सकता है कि व्यक्ति के कार्यों का निजी एवं सार्वजनिक, इन दो वर्गों में विभाजन सर्वथा अप्राकृतिक है।

मिल का कहना है कि शराब पीना, सिगरेट पीना तब तक स्व-सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत आएंगे जब तक कि ऐसा करके वह व्यक्ति दूसरों को हानि न पहुँचाए, लेकिन मिल यह भूल जाते है कि आखिर व्यक्ति तो राज्य का ही एक अंग है, और यदि उसे नुकसान पहुँचेगा, तो राज्य को भी नुकसान होगा। मिल कहते हैं कि यदि व्यक्ति ऐसे निजी कार्य करता है, जो उसके लिए घातक हो तो राज्य उसे समझाए किन्तु व्यक्ति इतना ही समझदार होता तो आज न तो पुलिस की आवश्यकता होती और न ही न्यायालयों की।

मिल इस बात को आधार मानकर चलते हैं कि व्यक्ति अपने हित-अहित का निर्णय स्वयं सबसे अच्छी तरह कर सकता है तथा इस कारण उसे विचार व कार्य दोनों के सम्बन्ध में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इस मान्यता की निरापत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आजकल के समाज की जैसी स्थिति है उसके कारण तथा व्यक्तियों के मानसिक बौद्धिक स्तरों की विभिन्नता के कारण, यह निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सभी स्थितियों में व्यक्ति अपने हित-अहित का निर्णय कर सकते हैं।

व्यक्ति की विचार सम्बन्धी स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हुए मिल ने सनकियों तक को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही है तथा इस प्रसंग में सुकरात व ईसा जैसे व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टि से उनके इस विचार को आलोच्य माना जाता है कि झक्कियों को जो चाहे करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सुकरात व ईसा जैसे महान व्यक्तियों को सनकियों व झक्कियों की श्रेणी में रखा जाना भी आलोच्य है। **(के. एस. कमल, पृ. सं.286)**

मिल का यह विचार कि अशिक्षित लोगों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, अप्रजातान्त्रिक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। केवल अशिक्षा के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्त्व के विकास के अवसरों से वंचित कर देना सर्वथा अनुचित है।

अपनी पुस्तक **रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेन्ट** में मिल ने उपनिवेशों पर शासन करने के तरीकों का वर्णन किया है, उसकी स्वतंत्रता का नहीं। इस प्रकार एक तरह से तो वह स्वतंत्रता की अवधारणा में अहस्तक्षेप नीति की वकालत करते हैं, दूसरी ओर उपनिवेशों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहते हैं।

अपनी इसी पुस्तक के अन्तर्गत मिल सभी व्यक्तियों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं है, अतः यहाँ भी उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर अपना संकुचित दृष्टिकोण पेश किया है, जिन्हें वह मताधिकार नहीं देना चाहते।

मिल मानते हैं कि विचारों और कार्यों में कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे व्यक्ति को विचारों की अपरिमित स्वतंत्रता तो देते हैं किन्तु कार्यों की अपरिमित स्वतंत्रता नहीं देते। जबकि विचारों का सीधा सम्बन्ध कार्यों से ही होता है। जब भारत में कोई व्यक्ति किसी मजहबी या धार्मिक स्थल पर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले जोशीले और भड़कीले भाषण देता है तो उसी के परिणाम स्वरूप समाज में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या विचारों को कार्यों से पृथक किया जा सकता है? मिल यह भूल गए कि विचार कार्यों के मार्गदर्शक है प्रेरणा के स्रोत हैं।

एक तरह से यदि मिल के पर-सम्बन्धी कार्यों पर गौर किया जाए तो राज्य द्वारा नागरिकों की पूरी स्वतंत्रता ही छीनी जा सकती है। यह कहकर कि उन कार्यों से समाज की हानि हो सकती है, इससे तो राज्य व्यक्ति के किसी भी कार्यों में बाधा डाल सकता है।

लंकास्टर का कहना है कि मिल इस दृष्टि से हीगल एवं रूसो के बहुत समीप पहुँच जाता है और वह एक निरंकुशवादी राज्य का ही परोक्ष रूप से समर्थन करता है। (ओम नागपाल पृ. सं. 68)

मिल यह भी नहीं बताते हैं कि व्यक्ति के उन कार्यों को जो दूसरों को हानि पहुँचाए, कब रोका जाए? कार्य होने से पहले या कार्य होने के बाद?

अमेरिका में तैयार की गई फिल्म **'इनोसेंस ऑफ़ द मुस्लिम'** के विरूद्ध आधी दुनिया द्वारा प्रदर्शन हुआ, जिसमें इस्लाम धर्म के पैगम्बर हजरत मोहम्मद रूपी किरदार को घोर आपत्तिजनक स्थिति में दिखलाया गया है। दो वर्ष इसी प्रकार न्यूयार्क में एक पादरी द्वारा कुरान जलाए जाने का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसने बाद में कुरान शरीफ की प्रतियाँ जला कर ही दम लिया।

कभी डेनमार्क के जीलैड पोस्टेन में हजरत मोहम्मद के आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित किये जाते हैं। तो कभी फ्रांस की पत्रिका चार्ली हेबदो द्वारा भी कुछ ऐसे ही कारनामे किये जाते हैं।

फ्रांसीसी प्रधानमंत्री **ज्यो मार्क एराऊल** सहित वहाँ के और कई मंत्री इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संज्ञा देते हैं। अभी कुछ समय पूर्व चप्पलों व अण्डर गारमेण्ट्स पर हिन्दू देवी-

www.ignited.in

देवताओं के चित्र छपे होने का मामला सामने आया था। कभी कॉमेडी तो कभी गीत-संगीत तो हास्य डायलॉग के नाम पर दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाया जाता रहा है। यह सब कुछ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर होता रहता है।

सलमान रूश्दी ने एक साक्षात्कार में यह बात दोहराई थी कि मेरे किसी लेख या किसी पुस्तक से सहमत या असहमत होना दूसरे व्यक्ति की समस्या है उनकी नहीं। वे कहते हैं कि यदि किसी को उनके विचार या उनकी पुस्तक पसंद नही तो उसे न पढ़े जाने का पूरा अधिकार उसके पास है, परन्तु उनके अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तो कम से कम उन्हें मिलनी ही चाहिए और अपनी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में उन्होंने **'सेटेनिक वर्सेस'** नामक वह विवादित पुस्तक लिख डाली जिसमें कुरान शरीफ की आयतों को तथा हजरत मोहम्मद के चरित्र को अपमानजनक तरीके से पेश किया गया है लिहाजा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं का बाकायदा निर्धारण किये जाने की जरूरत है।

लेकिन उपर्युक्त आलोचनाओं के कारण मिल की स्वतंत्रता सम्बन्धी अवधारणा की महत्ता यहीं समाप्त नहीं हो जाती।

मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जिस परिप्रेक्ष्य में वकालत की (भले ही उसपर लगातार कटाक्ष कियें जा रहे है) वह आज भी अहमियत को बरकरार रखे हुए है। मिल ने विचार तथा अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन इसलिए किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि मनुष्य का मस्तिष्क ही समाज में परिवर्तन लाता है और समस्त वस्तुएँ व्यक्तियों से ही आती हैं और केवल स्वतन्त्र वाद-विवाद से ही उपयोगी विचार उत्पन्न हो सकते हैं।

अब यदि मिल के कार्य स्वातंत्र्य की चर्चा की जाए तो इस संदर्भ में भी काफी सारे आक्षेप लगाए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि वे नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका नजरिया काफी व्यापक व तार्किक था। उनके पर-संबंधी कार्यों की अवधारणा से स्पष्ट हो जाता है कि वे व्यक्ति को केवल वहीं तक स्वतंत्रता देने के हिमायती थे जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता बाधित न हो। वे हर्बर्ट स्पेंसर की भांति उग्र-व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं करते थे, जो **श्सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्टश् और श्स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेन्सश्** पर आधारित है, क्योंकि अगर मिल इस सोच से ग्रसित होते तो वे 19वीं शताब्दी में ही महिलाओं की स्वतंत्रता की सशक्त शब्दों में वकालत नहीं करते, न ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते और तब वे कदापि यह नहीं कहते कि बहुमत की तानाशाही कहीं अधिक भयावह है, बजाय वास्तविक तानाशाही के।

जहाँ तक स्व-सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता का सवाल है, तो उनका मकसद मानव की रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना था और उन्होंने इसके पीछे तर्क भी यही दिया कि जब व्यक्ति स्व-संबंधी कार्यों को अपने ढंग से करता है, तो एक नवीनता का प्रतिपादन करता है, विविधता का सृजन करता है और यही जीवन का सौन्दर्य है। उन्होंने एक व्यक्ति के विकास की तुलना पौधे से की है। जिस तरह पौधे अपने प्राकृतिक रूप में स्वतंत्रता के साथ विकास करते हैं, वैसे ही व्यक्तियों को भी अपनी क्षमताओं का स्वाभाविक रूप से विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। वे चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को बाहर से नहीं थोपा जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर की वह विशिष्टता कहीं दबकर रह जाए जो आगे चलकर राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

थामस एल्वा एडीसन ने 1000 से अधिक बार प्रयोग कर बल्ब का आविष्कार किया था, यदि उस पर अपने अंदर उठ रही उस जिज्ञासा को जानने का एवं उस पर कार्य करने का अवसर नहीं मिलता तो शायद उसकी रचनात्मक वहीं दब जाती और पूरी दुनिया एक नए आविष्कार से वंचित रह जाती।

इस तरह यदि दोनों प्रकार के कार्यों के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण का मिलान किया जाये तो कहीं न कहीं ये सकारात्मक की ओर ही जाते हैं।

महिलाओं के संदर्भ में निश्चय ही उनके विचार क्रांतिकारी थे, खासकर ऐसे समय में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था। यह मिल के विचारो का ही नतीजा था कि ब्रिटेन में महिलाओं को आगे चलकर मताधिकार दिया गया और उन्हें भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी गई। यह कहना गलत न होगा कि आधुनिक नारीवाद का शंखवाद मिल द्वारा ही किया गया।

निष्कर्षतः मिल की स्वतंत्रता पर सभी आरोप पत्र चिपका देने के बाद भी ऐसा बहुत सा प्रकाश पुंज बचता है, जो उनकी तेजस्विता को प्रकट करता है। प्राथमिक आजादी है, मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने की। इसके अभाव में किसी अन्य आजादी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमें यह कड़वा सच कुबूल करना ही होगा कि आज भी हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इससे वंचित है। करोड़ों लोगों को न भूख से आजादी मिल सकती है और न गरीबी से। वे निरक्षरता, कुपोषण की कैद में हैं। जहाँ धन कुबेर 'निजता' के बुनियादी अधिकार का दावा पेश कर एक खास किस्म की आजादी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, वहीं असंख्य दबे-कुचले लोग, महिलाएँ हिंसक हमलावरों के अत्याचारों से अब

तक आजाद नहीं हो सके हैं। विडम्बना यह है कि हम सब मानकर चलते हैं कि वंचितों और शोषितों को भूख, भय निरक्षरता और बिमारी से आजादी खुद-ब-खुद मिल जाएगी। हम सोचते हैं कि उनके अधिकार संविधान में दर्ज हैं, तो अगर सरकार ठीक से काम करती है, तो उनकी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। हकीकत यह है कि हम अपने अधिकारों की हिफाजत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को अधिकारों का मुखौटा पहनाकर इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर किसी कमजोर के अधिकार कुचले जा रहें हैं, तो हम उनसे नजरें फेर लेते हैं। अल्पसंख्यक, महिलाएँ, दलित या आदिवासी, इनकी आधी-अधूरी आजादी के लिए सिर्फ वे या फिर सरकारें जिम्मेदार नहीं। इसके लिए हमारी असहिष्णुता, सामन्ती मानसिकता, पितृसत्तात्मक सोच और जातिविषयक कुंठाग्रस्त मानसिकता ही जिम्मेदार है।

इस प्रकार स्वतंत्रता के सन्दर्भ में जर्मन दार्शनिक कार्ल यास्पर्स का कथन हमें समाधान की दिशा में ले जाता है कि "हमें परस्पर संवाद करना सीखना चाहिए, जिससे कि हम एक-दूसरे को समझ सकें और अभूतपूर्व भिन्नता के साथ स्वीकार कर सकें।"

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओम नागपाल, जॉन स्टूअर्ट मिल व्यक्ति स्वातंत्र्य का पुजारी, हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2009.
2. जे.पी. सूद, आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास भाग-3, के. नाथ एण्ड कम्पनी, 2010-11
3. के.एस. कमल, प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2012
4. पी.डी. शर्मा, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास (प्लेटो से माक्र्स), कॉलेज बुक डिपो, 1989-90.
5. ओ.पी. गाबा, राजनीति विचारक विश्वकोष, मयूर पेपरबैक्स, 2007.
6. वेपर, राजदर्शन का स्वाध्ययन, किताब महल प्रकाशन।
7. बार्कर रू पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैण्ड फ्रॉम 1894 टू 1914.
8. सेबाइन, राजनीति दर्शन का इतिहास, अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त, एस. चन्द एण्ड कम्पनी, 1970.

Corresponding Author

Nilima Kumari*

Junior Research Fellow, Department of Political Science, Banaras Hindu University, Varanasi-221005

nilima9009@gmail.com